

प्ररूप-एक  
(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर, सूरजपुर एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2016-17

सूरजपुर, दिनांक 23.04.2017

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :-


जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
सूरजपुर	प्रेमनगर	तारा	61.592	परसा कोल ब्लाक खुली खदान परियोजना
		योग	61.592	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 30.06.2017 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे से (स्थान) ग्राम पंचायत भवन तारा पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

कण्डिका	विवरण
एक- लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	परसा कोल ब्लाक, खुली खदान परियोजना
दो- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	25
तीन- अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	0
चार- प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	25
पांच- प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	2
छ:- क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हाँ
सात- क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
आठ- परियोजना की कुल लागत	रूपये 1450/- करोड़
नौ- परियोजना से होने वाला लाभ	रोजगार की प्राप्ति एवं क्षेत्र का विकास
दस- प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
ग्यारह- परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अ.वि.अ. (श.) एवं  
भू-अर्जन अधिकारी  
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

  
कलेक्टर  
सूरजपुर (छ.ग.)